न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**, आई.ए.एस

अपीलान्टस **बनाम** **रेस्पोडेन्टस**

1.अमरलाल पुत्र रायमलजी जाति भील के कायम मुकाम:-
1/1.प्रवीण कुमार पुत्र अमरलाल
1/2.विजय कुमार पुत्र अमरलाल
1/3.लक्ष्मी पुत्री अमरलाल
1/4.सगीता पुत्री अमरलाल
1/5.बबीता पुत्री अमरलाल
1/6.मीना पुत्री अमरलाल
1/7. सोनीया पुत्री अमरलाल
1/8.प्रिती पुत्री अमरलाल
1/9.लाछी देवी पत्नि अमरलाल जाति भील
निवासी सांचोर तहसील साचोर जिला जालोर

1.नरसिंग पुत्र रायमलजी जाति भील निवासी सांचोर जिला जालोर
2.राज्य सरकार जरिये,तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील **13/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-
1- श्री चुन्नीलाल पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टस
2- श्री सुरेन्द्र कुमार दवे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3- श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-24.06.2019

अपीलान्टस ने यह अपील तहसीलदार सांचोर के आदेश दिनांक 28.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम सांचोर के नामान्तरकरण संख्या 1173 पर पारित किया गया है।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई। साथ ही अपीलांट की तरफ से लिखित बहस मय दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

संक्षिप्त में अपीलांटस के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि सरहद मौजा साचौर तहसील साचौर में कृषि भूमि खसरा नंबर 1412 रकबा 0.94 हैक्टर की अन्य खातेदारो के साथ रायमल पुत्र विदा,हंजारीमल पुत्र सुरता जाति भील के नाम 2 बीधा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी रायमल पुत्र विदा अपीलांट संख्या 1 का पिता व अपीलांट सख्या 2 का दादा है। रायमल पुत्र विदा के नाम सरहद मौजा सांचौर में अन्य काफी कृषि भूमि आई हुई है।जिसमें खसरा नंबर 1411, 3609/2290 आदि सम्मिलित है।स्व.रायमल पुत्र विदा की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु पर उनकी जगह उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में खातेदारी में रायमल के वारिशान अर्जुनराम, अमरलाल, नरसिंग , जगमाल, नरेन्द्र पिसरान रायमल, कुसुम्बी,सीता, सुआ, कमला, गीता, दरीया पुत्रीया रायमल, बादली बेवा रायमल का नाम दर्ज किया गया। अपीलांट संख्या 1 अमरलाल स्व.रायमल का बेटा है तथा अपीलांट संख्या 2 प्रवीण स्व.रायमल का पोता है जिसका जन्म से ही पैतृक सम्पति में हक बनता है। खसरा नंबर 1411, 1412 में स्व.रायमल के वारिशान का नाम दर्ज हो जाने के बाद उनके एक पुत्र नरसिंग पुत्र रायमल जो होशियार व चालाक है, अन्य सह खातेदारो से खसरा नंबर 1411 में उनका हिस्सा अपने

पक्ष में हकतर्क करवाकर खसरा नंबर 1411 की जो भूमि स्व.रायमल के वारिशान के नाम दर्ज थी वह अपने नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 1357 दिनांक 06.01.2014 द्वारा दर्ज करवा दिया। खसरा नंबर 1412 में कुल रकबा 0.94 हैक्टर में स्व. रायमल पुत्र विदा, हंजारी पुत्र सुरता का 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि आती थी। स्व.रायमल की मृत्यु पर उनके वारिशान पुत्र/पुत्रीयों का नाम स्व.रायमल की जगह खसरा नंबर 1412 में हंजारी पुत्र सुरता के साथ रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा में दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नरसिंग ने सह-खातेदार हंजारी पुत्र सुरता से उसके हिस्से की 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि का हकतर्कनामा अपने पक्ष में सब रजिस्ट्रार सांचौर के कार्यालय में दिनांक 12.12.2013 को पंजीबद्व करवाकर जरिये म्यूटेशन संख्या 1358 दिनांक 06.01.2014 से हंजारी की जगह अपना नाम नरसिंग दर्ज करवा दिया है। खसरा संख्या 1412 में 1/2 हिस्से के खातेदार रायमल की मृत्यु पश्चात उसके उत्तराधिकारियों क्रमशः अर्जुनराम, अमरलाल, नरसिंग, जगमाल, नरेन्द्र, पिसरान रायमल, कुसुम्बी सीता, सुआ, कमला, गीता, सुन्दर, दरिया पुत्रियां रायमल, बादली बेवा रायमल ने अपना हिस्सा कभी भी नरसिंग के पक्ष में हकतर्क नही किया परन्तु नरसिंग ने राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो से मिलकर खातेदार अर्जुनराम, अमरलाल, जगमाल, नरेन्द्र आदि की जगह हकतर्क का झुठा हवाला देकर अपना नाम नरसिंग पुत्र रायमल जरिये म्यूटेशन संख्या 1173 दिनांक 28.01.2013 से दर्ज करवा दिया, जिससे व्यथीत होकर अपील अपीलांट निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

खसरा नबंर 1412 रकबा 0.94 हैक्टर में से अपने हिस्से की 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि का हकतर्क कभी भी अपीलांट या अन्य खातेदारो ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नरसिंग के पक्ष में नही किया, परन्तु पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलावट कर गलत रूप से हकतर्क का नोट लगाकर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार द्वारा बिना कोई हकतर्क दस्तावेज देखे बिना जांच किये खसरा नबंर 1412 में अपीलांट सहित अन्य खातेदारो की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नरसिंग के नाम गलत रूप से स्वीकृत कर दी।ऐसा आदेश अधिकारिताविहिन होने से Ab intio void है।

म्यूटेशन संख्या 1173(1153)जो खसरा नबंर 3609/2290 में खातेदार रायमल पुत्र विदा के फौत होने पर भरा गया है।इस खसरा नंबर 3609/2290 के बारे में भू अभिलेख निरीक्षक ने भी जॉच कर सही होना पाया था परन्तु इसी म्यूटेशन के दूसरे हिस्से में दर्ज खसरा नंबर 1412 रकबा 0.94 हैक्टर के कॉलम संख्या 09 में दर्ज खातेदार अर्जुनराम, अमरलाल आदि के नाम को गोल घेरा कर कॉलम संख्या 14 में हकतर्क लिखकर नरसिंग पुत्र रायमल के नाम बदलाव दर्ज कर दिया, जो सरासर गलत व कानून के विपरीत आदेश होने से हर सूरत में काबिल खारिज है।

म्यूटेशन संख्या 1173 में दर्ज खसरा नंबर 3609/2290 के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक ने जांच कर सही होना पाया है,परन्तु खसरा नंबर 1412 के संबंध में आर.आई.द्वारा किसी जांच का हवाला नही है।आर.आई ने जांच कर खसरा नंबर 3609/2290 की प्रविष्टि सही होने से खसरा नंबर 3609/2290 के नीचे अपने हस्ताक्षर किये है जबकि खसरा नंबर 1412 के संबंध में न तो कोई जांच है और न ही आर.आई के हस्ताक्षर है।इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान की अवहेलना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार सांचौर द्वारा नामान्तरकरण में सबसे उपर स्वीकृत लिखकर अपीलांधीन आदेश से अर्जुनराम, अमरलाल आदि स्व. रायमल के वारिशान खातेदारो का नाम हटाकर नरसिंग का नाम दर्ज कर दिया है जो विधिविहिन होने से स्वतःनिरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 नरसिंग के पक्ष में खसरा नबंर 1412 में खातेदार अपीलांट अमरलाल सहित किसी ने भी अपने हिस्से का हकतर्क नही किया है फिर भी पटवारी हल्का ने अपने मन से नरसिंग से मिलकर उसे फायदा पहुँचाने के लिये अपने कर्तव्य के विपरित गलत मनमाना नोट हकतर्क लिखकर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर आदेश पारित किया है जो कानूनी व तथ्यात्मक भारी भूल है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नरसिंग के पक्ष में खसरा नंबर 1412 के खातेदार हंजारी ने अपना 1/2 हिस्सा हकतर्क किया है जिसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित म्यूटेशन संख्या 1358 में उप पंजीयक कार्यालय साचौर में दिनांक 12.12.2013 को पंजीबद्व होना बताकर किया गया है। इसी प्रकार खसरा नबंर 1411 में सह-खातेदारो द्वारा नरसिंग के नाम अपना हिस्सा हकतर्क का उल्लेख संबंधित म्यूटेशन संख्या 1290 में उप पंजीयक सांचौर कार्यालय में दिनांक 27.06.2013 को हकतर्कनामा पंजीबद्व होना बताकर किया गया है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1411 में स्व. रायमल के वारिशान के नाम (अपीलांट सहित) खातेदारो द्वारा अपना हिस्सा नरसिंग के पक्ष में हकतर्क किया गया है उसका स्पष्ट उल्लेख म्यूटेशन संख्या 1357 में उप पंजीयक कार्यालय सांचौर में दिनांक 07.11.2013 को पंजीबद्व होने का किया गया है।परन्तु खसरा नंबर 1412 में अपीलांट अमरलाल तथा रायमल के वारिसान द्वारा अपना हिस्सा नरसिंग के पक्ष में हकतर्क करने का कोई विवरण कही पर भी उपलब्ध नही है केवल पटवारी हल्का द्वारा हकतर्क शब्द लिखकर तथा आर.आई.द्वारा बिना जांच किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार साचौर द्वारा दिनांक 28.01.2013 को स्वीकृत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिया है जो कानूनी व तथ्यात्मक रूप से भारी भूल है।

खसरा नबंर 1412 के संबंध में दिनांक 28.01.2013 को स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 1173 Ab intio void होने से उसके बाद इस आधार पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही भी अवैध व शून्य है।

अपीलाधीन म्यूटेशन भरते समय व स्वीकृत करने के समय अपीलांट हाजिर नही थे तथा इस म्यूटेशन की जानकारी कभी भी अपीलांट को नही दी गई। जनवरी 2017 में यह पता चलने पर की उक्त भूमि नरसिंग अकेले के नाम हो गई है तथा वह लोगो को पट्टा बनाकर बेचने की फिराक में है, अपीलांट ने अपीलाधीन म्यूटेशन बाबत पूछताछ कर नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 05.02.2018 को प्राप्त हुई तब उक्त वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई।अपीलांट अमरलाल कैसर की गभीर बीमारी से पीडित है।जिसका ईलाज गुजरात के अस्पताल में चल रहा है।अपीलांट अमरलाल को पुनः कैसर के ईलाज हेतु अपीलांट संख्या 2 प्रवीण कुमार पुत्र उसे लेकर अहमदाबाद गया तथा अब वापिस आने पर अपील जानकारी दिनांक 05.02.2018 से अन्दर म्याद पेश है।वैसे अपीलाधीन आदेश अधिकारिताविहिन मनमर्जी का फर्जी होने से म्याद की कोई कानूनी बाधा नही है।ऐसा आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है। फिर भी डिले कंडोन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

लिहाजा अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1173(1153) दिनांक 28.01.2013 ग्राम सांचोर निरस्त करावे। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट बाबत डिले माफ करने हेतु मय शपथ पत्र के पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील को अन्दर म्याद मानने हेतु भी निवेदन किया है।

धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना-पत्र में अपील प्रस्तुत करने में देरी के लिए जो आधार वर्णित किये है उनमें मुख्य यह है कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1173 भरने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया जिससे उनको इस म्यूटेशन की जानकारी नहीं मिली। यह भी लिखा कि अपीलांट अमरलाल केंसर से पीड़ित है तथा उसका इलाज गुजरात के अस्पताल में चल रहा है तथा उसका पुत्र उसे इलाज हेतु लेकर जाता है। इन कारणों से यह अपील पेश करने में देरी हुई है। यह भी लिखा कि विवादित म्यूटेशन बिना किसी दस्तावेजी आधार के भरा गया है जो अधिकारीता विहिन होने से शून्य है तथा इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों में म्याद की बाध्यता लागू नहीं होती है।

रेस्पोडैन्ट संख्या 1 की तरफ से अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जवाब पेश किया है जिसमें व्यक्त किया है कि

प्रार्थी/अपीलांट संख्या 1 अप्रार्थी का सगा भाई था तथा प्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 अप्रार्थी का सगा भतीज है नामान्तरकरण संख्या 1173 दिनांक 28.01.2013 का प्रार्थीगण को बखुबी ज्ञान था।अप्रार्थी संख्या 1 नरसिंग द्वारा मौजा सांचोर के खसरा नंबर 1411 व 1412 को गैर कृषि प्रयोजनाथ भूमि रूपान्तरकरण हेतु 90 क के तहत प्रार्थना पत्र नगर पालिका सांचोर में पेश किया था जिस पर नगर पालिका मंडल सांचोर द्वारा एक लोक सूचना राजस्थान पत्रिका अखबार में दिनांक 13.05.2017 को जारी की गई थी उसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही है। मौजा सांचोर के खसरा नंबर 1411 व 1412 की भूमि का कब्जा जैनो के पास था जिसके कई दावे चले व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार उक्त खसरा नंबर की भूमि का कब्जा नरसिंग पुत्र रायमल भील को देने का निर्णय होने पर तहसीलदार सांचोर द्वारा कब्जा दिनांक 23.08.2016 को जैनो से खाली करवाकर नरसिंग पुत्र रायमल भील को दिया था जिसमे अमरलाल व उसके पुत्र प्रवीण राणा व अमरलाल के अन्य सभी वारिशानो को ज्ञान था एवं प्रवीण अपीलांट व उनके अधिवक्ता सदराम विश्नोई ने दिनांक 23.08.2016 को तहसीलदार सांचोर द्वारा मौजा सांचोर के खसरा नंबर 1411 व 1412 की भूमि का कब्जा नरसिंग को दिया उसमें प्रवीण व सदराम विश्नोई की साक्षी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट प्रवीण को दिनांक 23.08. 2016 व उससे पूर्व से उक्त आराजी खसरा नंबर 1412 की भूमि अकेले नरसिंग के नाम की होने का बखूबी ज्ञान है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा नरसिंग को कब्जा देने का आदेश होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा नरसिंग को कब्जा नही दिलाया जा रहा था तब दिनांक 10.08.2016 से करीबन 25 रोज तक साचोर में उपखण्ड अधिकारी के आगे धरना दिया गया तथा प्रत्येक रोज उपखण्ड अधिकारी के जरिये प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन सोपा जाता रहा उन ज्ञापनो में भी अमरलाल के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि अमरलाल को भी वर्ष 2016 से यह ज्ञान था कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1412 का एकमात्र खातेदार नरसिंग है।इस कारण प्रार्थी /अपीलांट का लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। प्रार्थी /अपीलांट को जब जनवरी 2017 में यह ज्ञान हो चुका था कि अप्रार्थी नरसिंग अकेले का नाम मौजा सांचोर के खसरा नंबर 1412 में दर्ज हो चुका है तथा प्रार्थी/अपीलांट को यह भी ज्ञान वर्ष 2017 में हो चुका था कि अप्रार्थी नरसिंग अकेले का नाम आराजी में दर्ज होने से व आगे बैचान की फिराक में है फिर भी प्रार्थी/अपीलांट ने नामान्तरकरण की नकले हेतु एक वर्ष बाद यानि दिनांक 05.02. 2018 को प्रार्थना पत्र पेश किया । उक्त पद में प्रार्थी/अपीलांट ने यह भी वर्णित किया है कि अमरलाल कैसर की बीमारी से पिडित था तथा ईलाज गुजरात अस्पताल में चल रहा था बीमारी की कोई पर्चीयां व भर्ती का कोई प्रमाण पत्र या ईलाज बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नही किये है तथा प्रार्थी अमरलाल गुजरात में किस अस्पताल में भर्ती रहा है यह भी स्पष्ट नही किया है तथा ईलाज कितने रोज चला तथा किस तारीख को वापस घर आये जिसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही है।प्रार्थी/अपीलांट को ज्ञान होने के बाद प्रत्येक दिन का स्पष्ट हवाला देना होता है कि वह अपील करने में क्यो देर हुआ इस कारण प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में जनवरी 2017 में अप्रार्थी नरसिंग अकेले का नाम दर्ज हो जाने का ज्ञान की बात लिखी है जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रार्थी/अपीलांट को नरसिंग अकेले का नाम वर्ष 2017 में होने का पता चल गया था फिर भी नकलो हेतु आवेदन दिनांक 05.02. 2018 को किया एक वर्ष तक नकले नही मांगने का कारण मात्र गुजरात में ईलाज का हवाला दिया है जबकि ईलाज बाबत कोई उपचार की पर्ची पेश नही है न ही प्रार्थी/अपीलांट कितने दिन गुजरात के किस अस्पताल में भर्ती रहा यह भी हवाला प्रार्थना पत्र में पेश नही किया है कि दिनांक 05.02.2018 को नामान्तरकरण की जानकारी होना इस पद में प्रार्थी/अपीलांट लिखता है तथा अपील एक माह बाद यानि दिनांक 05.03.2018 को इस न्यायालय में पेश की जा रही है उस एक माह के विलम्ब का हवाला भी प्रार्थना पत्र में

नही है प्रार्थी/अपीलांट को ज्ञान होने के बाद उसे प्रत्येक दिन देरी होने का स्पष्ट कारण बताये जाने पर ही धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत छुट दी जा सकती है इस कारण प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपीलांट प्रवीण कुमार ने एक दावा स्थाई निशेषाज्ञा का सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सांचोर में अप्रेल 2018 में नरसिंग वगैराह के विरूद्ध प्रस्तुत किया था उस वाद में अपीलांट प्रवीण कुमार ने नरसिंग व नरेन्द्र के पक्ष में रायमल द्वारा दिनांक 27.07.2006 को वसीयत पंजीबद्ध होने का हवाला लिखा है तथा इस दावे में प्रवीण कुमार ने यह भी अंकित किया है कि मौजा सांचोर के खसरा नंबर 1412 की एक वसीयत दिनांक 04.08.2012 को रायमल ने उसके हक में लिखी थी जो अन्तिम वसीयत थी इस प्रकार एक तरफ तो प्रवीण कुमार अपने अकेले की खातेदारी की वसीयत मानता है दूसरी तरफ इस अपील में सभी वारिशानो का हिस्सा होना बताया है, नामान्तरकरण भरते समय नरसिंग द्वारा वसीयतनामा पटवारी हल्का को पेश कर दिया गया था उसकी प्रति उसे सुपुर्द कर दी थी परन्तु लिपिकीय भूल से नामान्तरकरण स्वीकृत करते वक्त हकतर्कनामा लिखा गया जबकि 'वसीयत' लिखना था। इस प्रकार अमरलाल व उसके पुत्र प्रवीण कुमार को नामान्तरकरण संख्या 1173 की जानकारी वर्ष 2013 से ही थी तथा अपीलांट अमरलाल व प्रवीण कुमार ने कई धरनो में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में जब नरसिंग को कब्जा सुपुर्द किया तब भी साक्षी के रूप में प्रवीण कुमार उपस्थित था तथा वसीयत दिनांक 27.07.2006 का ज्ञान भी प्रवीण कुमार को है जिसका वर्णन उसके सिविल वाद जो सांचोर में पेश किया उसमें स्वंय ने अंकित किया है इस प्रकार गलत रूप से ज्ञान न होने का तथ्य अंकित कर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलांट का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर सुनी गई। अपीलांट की तरफ से बहस के पश्चात प्रस्तुत लिखित बहस तथा दस्तावेज भी शामिल पत्रावली किये गये।

वकील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 1173 स्वीकृत दिनांक 28.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर बहस में कथन किया है कि नामान्तरकरण सख्या 1173 में खसरा नंबर 1412 रकबा 0.94 में से 1/2 हिस्से के खातेदार रायमल के वारिसान का नाम हकतर्क के आधार पर नरसिंग वल्द रायमल कौम भील सा.देह खातेदार 1 बीघा 9 बिस्वा शेष बदस्तूर इन्दाज कर रायमल पुत्र विदा के अन्य वारिशान का नाम हटाया गया है। जबकि नरसिंग को रायमल के किसी भी उत्ताधिकारी वारिस द्वारा उक्त आराजी का हकतर्क नही किया गया है। नामान्तरकरण में हकतर्क से संबंधित किसी दस्तावेज का उल्लेख नही किया गया है।केवल मात्र कॉलम संख्या 14 में हकतर्क ही लिखा है। उक्त स्वीकृत नामान्तकरण आदेश अधिकारिताहिन होने से Ab intio void है।जिसे कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट की और से आज दिनांक 17.06.2019 को वसीयत पेश की है जिसका नामान्तरकरण संख्या 1173 से कोई संबंध नही है। अतः हकतर्कनामा के आधार पर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण सख्या 1173 को निरस्त करावे। लिखित बहस में यह वर्णित किया कि रायमल के वारिसान जिमें अपीलांट भी शामिल है ने नरसिंग के पक्ष में अधिकार-पत्र केवल न्यायालयों में पेरोकारी हेतु दिये थे बेचने/हस्तान्तरण हेतु नहीं। आज दिन तक रायमल के वारिसान तथा अपीलांट द्वारा कोई हकतर्क नहीं किया है ना ही हकतर्क का विवरण उपलब्ध है। रेकोर्ड पर कोई हकतर्क नामा उपलब्ध नहीं है। हकतर्कनामा नहीं होने से उक्त म्यूटेशन के बचाव में वसियतनामे को आगे किया है जबकि उक्त कथित वसियतनामा कभी अमल में नहीं आया तथा म्यूटेशन उत्तराधिकारियों की है हैसियत से भरा गया था जिसे बाद में पटवारी ने मनमर्जी काट छांट कर रायमल के वारिसान के नामें को गोला करते हुए अकेले नरसिंग के नाम दर्ज कर दिया। म्याद बिन्दु पर लिखित बहस में अपीलांट की तरफ से लिखा गया

कि अन्य कोई विधिक दस्तावेज न होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा म्याद बिन्दु को उठाया गया है। यह भी कि बिना हकतर्क दस्तावेज के उसको आधार बताकर किया गया म्यूटशन शून्य है अतः इसमें म्याद लागू नहीं होती। साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजों में पावर ऑफ ओटोनी दिनांक 02.02.2001, गुजरात के अस्पतालों में अपीलांट अमरलाल के इलाज की पर्चीयां/बिल भी अन्य दस्तावेजों के साथ पेश किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के साथ विभिन्न दस्तावेज भी पेश किये जिनमें नगर पालिका द्वारा जारी लोक सूचना दिनांक 11.05.2017, वसियत दिनांक 27.07.2008, 2 हकतर्कनामें (अपीलाधीन रकबे को छोडकर शेष भूमि बाबत) रेस्पोडेन्ट नरसिंग से कब्जा सुपुर्दगी फर्द दिनांक 23.08.2016, सहायक कलेक्टर न्यायालय, सांचोर में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राज. टिनेन्सी एक्ट प्रार्थना-पत्र की प्रति, अपीलांट द्वारा सिविल न्यायाधीश सांचोर मे प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र की प्रति, अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय से अपना वाद विड्रोवल करने हेतु प्रार्थना-पत्र की प्रतियां तथा ज्ञापन आदि की प्रतियां पेश की। रेस्पोडेन्ट की तरफ से विद्वान अभिभाषक ने बहस में मुख्य रुप से तर्क रखे कि अपीलांट की अपील म्याद बाहर है तथा डिले को कन्डोन करने हेतु कोई मजबुत आधार मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जबकि एक-एक दिन के डिले का कारण बताना होता है। यह भी कहा कि अपीलांट को अकेले रेस्पोडेन्ट के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है इसकी जानकारी भलीभांति थी, तथा रेस्पोडेन्ट कब्जा सुपुर्दगी फर्द पर अपीलांट प्रवीण के हस्ताक्षर भी मौजूद है। यह भी कहा कि उक्त म्यूटेशन वसियत के आधार पर भरा गया है परन्तु पटवारी ने भूलवश हकतर्क नामें का आधार लिख दिया है। उपरोक्त आधारो पर तथा मुख्यतः अपील म्याद बाहर होने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की तथा इस बाबत कुछ न्याय निर्णयों के उद्धरण भी प्रस्तुत किये।

पत्रावली के अवलोकन, बहस, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्याय निर्णय के उद्धरणो पर मनन उपरान्त निष्कर्ष यह है कि खसरा नम्बर 1412 रकबा 2.18 बीघा भूमि हंजारी तथा रायमल की 1/2-1/2 हिस्सा खातेदारी थी। हंजारी ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये हकतर्कनाम दिनांक 12.12.2013 रेस्पोन्डेन्ट नरसिंग के नाम कर दिया जिसका म्यूटेशन नंम्बर 1358 भरा गया। शेष 1/2 हिस्से खातेदार रायमल के वारिसान अर्जुनराम, अमरलाल (अपीलांट संख्या-1 अब जरिये कायम मुकाम) नरसिंग (रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1), जगमाल, नरेन्द्र पुत्र रायमल, कसुम्बी, सीता, सुआ, कमला, गीता, सुन्दर, दरिया पुत्रियां रायमल, बादली बेवा रायमल ने अपने हिस्से की भूमि का कभी भी रेस्पोन्डेन्ट नरसिंग के नाम कोइ हकतर्कनाम नहीं किया। जबकि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1173 के द्वितीय भाग जो खसरा नम्बर 1412 से संबंधित है में पहले तो रायमल के उक्त उत्तराधिकारियों के नाम म्यूटेशन भरा हुआ दर्ज है परन्तु बाद में इसे पैन से गोला लगाकर कॉलम संख्या 11-12 में अकेले रेस्पोन्डेन्ट नरसिंग वल्द रायमल कौम भील सा.देह खातेदार 1 बिघा 9 बिस्वा शेष बदस्तूर दर्ज किया तथा कॉलम संख्या 14 में 'हकतर्क' का अधार पटवारी ने वर्णित किया। उक्त म्यूटेशन तहसीलदार ने दिनांक 28.01. 2013 को स्वीकृत किया।

विभिान्न तर्को तथा दस्तावेजों के गहन अवलोकन उपरान्त यह प्रकरण बिल्कुल साफ है कि जिस कथित हकतर्क का हवाला देकर रायमल के वारिसान (अपीलांट सहित) का 1/2 हिस्सा अकेले नरसिंग (रेस्पोन्डेन्ट) के नाम दर्ज किया है ऐसा कोई हकतर्कनामा आज दिन तक रिकोर्ड पर नहीं है तथा ऐसे किसी हकतर्कनामें के अस्तित्व बाबत कोई विगत रेस्पोन्डेन्ट ने जवाब, बहस एवं दस्तावेजों में प्रस्तुत नहीं की है। बिना पंजीकृत विधिक हकतर्कनामें के उसका हवाला देकर अपीलांट सहित रायमल के वारिसान के हिस्सेदारी भूमि का नरसिंग के नाम उक्त नामान्तरकरण कानून की दृष्टि में कायम रहने लायक नहीं है। बिना दस्तावेज मौजूदगी असत्य हवाला देकर दर्ज उक्त म्यूटेशन ab initio void है। इस प्रकरण के तथ्य एवं विवाद मात्र इसी बिन्दु तक सीमित है अतः अन्य दस्तावेजों, वसियतनामें, कब्जा-पत्र आदि

उक्त कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करते। अब मात्र एक बिन्दु विचारणीय यह रह जाता है कि क्या उक्त अपील म्याद बाहर है

इस बाबत मेरे अभिमत में स्थिति यह है कि चूंकि अपीलांट (एवं रायमल के अन्य वारिसान) के हिस्से की भूमि को बिना दस्तावेज के ही अपीलांट के नाम दर्ज करने की कार्यवाही ab initio void है अत: void कार्यवाही बाबत लिमिटेशन एक्ट के तहत म्याद की पाबन्दी लागू नहीं हो सकती। न्यायालय का यह उत्तरदायित्व भी है कि सारभूत न्याय किया जावे। यह स्पष्ट है कि नरसिंग को रायमल के अन्य उत्तराधिकारियों ने पूर्ववर्ती न्यायिक प्रकरणों में पैरवी हेतु अधिकारी दिये थे उस POA में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है कि उक्त पावर ऑफ अटोर्नी मात्र न्यायिक प्रकरणों में पैरवी हेतु है, भूमि को बेचान/हस्तान्तरण के अधिकारी नहीं होंगे। इन्ही आधारों पर यदि नरसिंग अकेले को कब्जा सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार ने की तो भी रायमल के उत्तराधिकारियों के विधिक हक समाप्त नहीं हो जाते। वसियतो बाबत इतना ही लिखना पर्याप्त है कि वे उक्त प्रकरण में या इससे पूर्व कभी प्रभावी रही हो ऐसा साबित नहीं है। वादग्रस्त म्यूटेशन प्रथमत: उत्तराधिकारियों के पक्ष में भरा जाना म्यूटेशन के अवलोकन मात्र से सिद्ध है बाद में उनके नाम हटाने हेतु आधार के रूप में वर्णित हकतर्कनामा मौजूद नहीं है, ना ही उसका अस्तित्व किसी भी पक्ष ने क्लेम किया है। अत: पूर्णत: अधिकारीता विहिन कार्यवाही बाबत म्याद की बाध्यता लागू नहीं है। अत: धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत डिले को कन्डोन करने हेतु प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन किया जाता है। अपील को गुणवगुण के आधार भी उक्तानुसार वर्णित विवेचन अनुरुप स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1173 बाबत खसरा नम्बर 1412 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा (स्वर्गीय रायमल के हिस्से की भूमि) को निरस्त किया जाता है।इस सीमा तक उक्त म्यूटेशन के पश्चातवर्ती कार्यवाहीयां (यदि की गई हो) भी अप्रभावी रहेगी। प्रकरण पुन: अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार संचोर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि से संबंधित सभी पक्षकारों को विधिपूर्वक सुनवाई कर पूर्णत: विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:42:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: